न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 27/2022

अनवान : —

1. दीपाराम पुत्र राजू जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा। — प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। —अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री संजय स्वामी प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 21/6/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 24/229 के खसरा सं0 117, 127, 184, 221, की कुल 6.1960है0 जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 129/124 के खसरा सं0 153, 164, 222, 467/116 की कुल 7.5370है0 में प्रार्थी के नाम 7797/75370है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भूपसिंह पुत्र राजूराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र राजू है। भूपसिंह पुत्र राजराम संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम दीपाराम पुत्र राजू दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम भूपसिंह पुत्र राजुराम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में दीपाराम पुत्र राजु द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 1ए राशन कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 2ए पहचान पत्र प्रदर्श 3ए बैंक पास बुक प्रतिलिपि प्रदर्श 4ए व 5ए रिपॉर्ट ग्राम पंचायत मुन्सरी प्रदर्श 6ए जमाबंदी प्रदर्श 7 व 8 प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र राजू है जबकि राजस्व रिकार्ड में भूपसिंह पुत्र राजूराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों व रिपॉर्ट के प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र राजू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 24/229 के खसरा सं0 117, 127, 184, 221, की कुल 6.1960है0 जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 129/124 के खसरा सं0 153, 164, 222, 467/116 की कुल 7.5370है0 में प्रार्थी के नाम 7797/75370है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम भूपसिंह पुत्र राजूराम दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र राजू है तथा तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम भूपसिंह पुत्र राजूराम की जगह सही नाम दीपाराम पुत्र राजू करना उचित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 24/229 के खसरा सं0 117, 127, 184, 221, की कुल 6.1960है0 जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व चक मुन्सरी बारानी के खाता सं0 129/124 के खसरा सं0 153, 164, 222, 467/116 की कुल 7.5370है0 में प्रार्थी के नाम 7797/75370है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में भूपसिंह पुत्र राजूराम की जगह प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र राजू दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भूपसिंह पुत्र राजूराम के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का भूपसिंह पुत्र राजूराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 21-6-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़